उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या- 49 /2021/ 1078 /30-3-21-64एम/2012

लखनऊ, दिनॉक 31 मार्च, 2021

<u>संशोधन/शुद्धि-पत्र</u>

जनपद रायबरेली में निर्माणाधीन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (आई0डी0टी0आर0) हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रावधानित धनराशि रू0 300.00 में से राज्यांश के रूप में कुल प्रस्तावित धनराशि रू0 294.78 की प्रशासकीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष रू0 199.42 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-48/2021/548/30-3-21-64एम/2012, दिनांक 30 मार्च 2021 निर्गत किया गया है, जिसके प्रस्तर-2 में "लेखाशीर्ष-4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना (के.70/रा.30 रा.)-24-वृहत् निर्माण **के स्थान पर** "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" त्रुटिवश अंकित हो गया है।

अत: शासनादेश दिनांक 30 मार्च 2021 के प्रस्तर-2 में "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" के स्थान पर **"लेखाशीर्ष-4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना (के.70/रा.30 रा.)-24-वृहत् निर्माण" पढ़ा जाय।**

2- उक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च 2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-49/2021/1078(1)/30-3-2021, तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी-रायबरेली।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (पूर्ववर्ती नाम-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in